न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भंवरसिंह बनाम कमलेश वगैरह

किस्म मुकदमा--225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 376/2025 (ब्यावर)

रिनाo5 4/8/25

श्री अमीन काठात

04.08.2025	भंवरसिंह बनाम कमलेश वगैरह (2025/376) यह अपील श्री अमीन काठात एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 28.01.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था, जिसे दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात दिनांक 03.03.2025 को अप्रार्थी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जी अजमेर

अपील T.A.-376/2025

2025/376

भंवर सिंह पुत्र देवा जाति गेहरात ग्राम मेडिया, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।

--अपीलार्थी

बनाम्

1. कमलेश पुत्र तेजा
2. रामसिह पुत्र तेजा

दोनो जाति घोसी निवासी ग्राम मेडिया तहसील व जिला ब्यावर।

3. श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी महोदय, ग्राम.पं. मेडिया, तहसील व जिला ब्यावर।
4. श्रीमान सरपंच महोदय ग्राम पंचायत मेडिया तहसील व जिला ब्यावर।
5. श्रीमान प्रभारी अधिकारी पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मोडिया, तहसील व जिला ब्यावर।
6. श्रीमान आयुक्त नगर परिषद ब्यावर जिला ब्यावर।
7. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, उपस्वास्थय केन्द्र, मेड़िया तहसील व जिला ब्यावर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर।
9. हरि पुत्र देवा
10. हनुमान पुत्र देवा
11. कोया पुत्री देवा
12. कमला पुत्री देवा
13. रामा पुत्र अमरा

Scanned with CamScanner

समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम मेडिया, तहसील व जिला अजमेर।

-- प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जी ब्यावर द्वारा दिनांक 3.3.2025 जो राजस्व प्रकरण संख्या 11/2025 में पारित किया गया ।

माान्यवर जी,

अपीलार्थी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि :-

(क) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने एक वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, ब्यावर कें न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की ग्राम मेडिया में पुश्तैनी जमीन अवस्थित है जिसके खाता संख्या 4 खसरा संख्या 60 रकबा 28-15-00 बीघा दिनांक 27.3.1972 को उजरदारी से खातेदारी सम्वत 2023-2026 में प्रार्थी के पूर्वज देवा वल्द तेजा, रामा वल्द अमरा को दी गई, उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखलंदाजी मदाखलत उत्पन्न नही करे, न ही वादी/ प्रार्थी को बेदखल करने का नाजायज प्रयास करे, न ही अन्य को भूमि का हस्तान्तरण करे। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रर्जिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने बाबत आदेश दिनांक 3.3.2025 को पारित किया। जिससे अपीलार्थी

Scanned with CamScanner